भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1451

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

एक समान पुलिस व्यवस्था

1451. श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में अपराधों की रोकथाम हेतु नई एक-समान पुलिस व्यवस्था कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या रणनीति तैयार की गयी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : जी, नहीं । सरकार ने सितम्बर, 2005 में एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। अधिनियम की प्रति गृह मंत्रालय के दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 के आ.शा.पत्र के तहत राज्यों को परिचालित की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 15 राज्यों ने अपने राज्य पुलिस अधिनियम तैयार किए हैं और दो राज्य अर्थात् गुजरात और कर्नाटक ने इस संबंध में अपने मौजूदा पुलिस अधिनियम को संशोधित कर लिया है। मॉडल पुलिस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(क) कार्यात्मक स्वायत्तता:

(ख) पेशेवर तरीके को बढ़ावा देना

(ग) जबावदेही सर्वोपरि

(घ) बेहतर सेवा शर्तें

इसके बारे में विस्तृत टिप्पणी अनुलग्नक-I में दी गई है।

मॉडल पुलिस अधिनियम का फिर से अध्ययन किया गया और बदलती वास्तविकताओं के अनुसार इसकी समीक्षा की गई ताकि पुलिस को और अधिक जवाबदेह, दक्ष और नागरिक हितैषी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28.11.2014 को 49वें वार्षिक पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई अवधारणा के अनुरूप, मॉडल पुलिस विधेयक, 2015 के प्रारूप में 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था की दस विशेषताएं शामिल की गई हैं। मसौदा मॉडल पुलिस विधेयक तैयार किया गया और दिनांक 15.10.2015 को टिप्पणियों हेतु इसे सार्वजनिक किया गया।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि-1 और 2 के अधीन "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। विभिन्न पुलिस सुधार संबंधी उपायों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएं

मॉडल पुलिस अधिनियम में एक लोकतांत्रिक समाज में एक ऐसी पेशेवर पुलिस 'सेवा' की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति दक्ष, प्रभावी, प्रतिक्रियाशील तथा कानून के प्रति जवाबदेह हो। इस अधिनियम में पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारियां उपबंधित की गई हैं और इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि पुलिस को अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए निष्पक्षता और मानवाधिकार संबंधी मानदंडों के सिद्धांतों पर शासित होना चाहिए (अधिनियम की प्रस्तावना)। मॉडल अधिनियम की अन्य मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- कार्यात्मक स्वायत्तता: यह विचार करते हुए कि पुलिस राज्य की एजेंसी है और इस कारण से वह निर्वाचित राजनैतिक कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, समिति ने विशेष रूप से पुलिस पर राज्य सरकार के अधीक्षण की भूमिका को रेखांकित किया है (धारा 39)। मॉडल पुलिस अधिनियम में दक्ष, प्रतिक्रियाशील और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था आदि को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया है (धारा 42-50)। पुलिस महानिदेशक का मेरिट आधार पर चयन और नियुक्ति, कार्यकाल की समय-सीमा सुनिश्चित करना (धारा 6), गैर कानूनी आदेशों के बारे में पुलिस अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों को स्वीकार तथा उनकी जांच करने, पुलिस महानिदेशक को छोड़कर

राज्य में पुलिस संगठन में सहायक/उप अधीक्षकों तथा उनसे ऊपर के रैंक के सभी पदों पर तैनाती हेतु राज्य सरकार के योग्य अधिकारियों के नामों की सिफारिश करने के लिए स्थापना समितियों का गठन (धारा 53)।

- पेशेवर तरीके को बढ़ावा देना: दक्ष, प्रतिक्रियाशील और पेशेवर पुलिस सेवा सुनिश्चित करने के लिए, मॉडल अधिनियम में अपराध की जांच हेतु समर्पित स्टॉफ तथा सशस्त्र पुलिस की तरह सिविल पुलिस के लिए अलग संवर्ग (अध्याय-III और IV)।
- जबावदेही सर्वोपरि: अधिनियम में पुलिस के कार्य-निष्पादन और उनके आचरण दोनों के संबंध में पुलिस जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है(अध्याय-V और XIII)।
- बेहतर सेवा शर्तें: इस अधिनियम में पुलिस कार्मिकों के कार्य के घंटों को युक्तिसंगत बनाने, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने अथवा उसके स्थान पर प्रतिपूरक लाभ देने सहित पुलिस कार्मिकों को बेहतर सेवा शर्तें उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया है (अध्याय-XIV)। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, आवास और कानूनी सहायता के साथ-साथ सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर निकटतम संबंधी को वित्तीय सुरक्षा की देखभाल करने के लिए एक पुलिस कल्याण ब्यूरो स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार को सभी अधिकारियों को बीमा कवर तथा विशेष विंगों में तैनात अधिकारियों को उनके दायित्व में अंतर्ग्रस्त जोखिम के अनुरूप विशेष भत्ते मुहैया कराने के लिए भी अधिदेशित किया गया है।